

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO 49/2025 (PB)

VINOD KUMAR SHARMA

Versus

STATE OF RAJASTHAN & OTHRES

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO
1.	Memo of additional affidavit	1-4
2.	Documents	
	<u>Annexure R/1</u> Copy of notices	5-82
	<u>Annexure R/2</u> Copy of notices issued in year 2025	83-89
	<u>Annexure R/3</u> Copy of letter dated 16.04.2025	90

DATED:

PLACE: JAIPUR

Counsel for Respondent no. 6

SAGAR JINDAL

(ADVOCATE)

Email ID:- Sagarjindel33@gmail.com

Mob. No. :-8003397114

①

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO 49/2025 (PB)

VINOD KUMAR SHARMA

Versus

STATE OF RAJASTHAN & OTHRES

**ADDITIONAL AFFIDAVIT FOR TAKING ADDITIONAL
DOCUMENTS ON RECORD**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

That I Bhagwan Das Meena S/o Smirimal Singh
aged 56, Executive Engineer (O&M) Lalsot officer in charge in the
present original application impleaded as Respondent no. 6, do
hereby take oath and begs to submit the present additional affidavit
to the original application as under: -

1. That I am the officer in charge appointed in the present matter
appointed for representing respondent number 6 in the instant
original application.



ATTESTED

[Signature]
OATH COMMISSIONER
RAJASTHAN HIGH COURT
JAIPUR BENCH, JAIPUR

29 APR 2025

②

2. That the present respondent-deponent has time and again taken appropriate steps in order to safeguard the environment and also to safeguard the electricity connection guidelines against the offending persons. It is submitted that time and again disconnection notices have been issued by the present deponent. Further it is added that such notices were specifically addressed to the violators under the terms and conditions of connection. A copy of notices are filed herewith and marked as **Annexure-R/1**. It is further submitted that through the said notices the defaulters were given 48 hours' time to stop the activities conducted by them by way of using electricity in illicit manner.
3. That as the defaulters failed in compliance of the said notices the present deponent was forced for disconnection of the connections and for the same team went for disconnection. As there are numerous mills operating due to physical resistance the connections were not disconnected. Later on letters to various authorities were addressed by the present respondent-deponent for providing appropriate police force and help so



ATTESTED




OATH COMMISSIONER
RAJASTHAN HIGH COURT
JAIPUR BENCH, JAIPUR

25 APR 2025


③

that connections can be disconnected. But sadly all the efforts gone in vain.

4. That during the pendency of the present original application the present respondent-deponent yet again issued fresh notices for disconnection of electricity to the defaulters in the present year and to the same also no reply has been preferred by the defaulters. Copies of notices issued in year 2025 are filed herewith and marked as **Annexure-R/2**.
5. That as no reply to the notices were given neither the connections have been restored for the original use, the present respondent-deponent again issued orders for disconnection of electricity but looking into the fact that there might again be physical resistance again letter dated 16.04.2025 was addressed to the appropriate authority for providing police staff for safety of the team and for effective work. A copy of letter addressed to appropriate authority dated 16.04.2025 is filed herewith and marked as **Annexure-R/3**. Again, it is sorry to state that no response has ever been received for the same.



ATTESTED


CITY COMMISSIONER
RAJASTHAN HIGH COURT
JAIPUR BENCH, JAIPUR

29 APR 2025

(4)

6. That without appropriate police staff it is impossible and is incredibly dangerous to proceed with disconnection due to presence of physical threats by the defaulters.
7. That the above clearly specifies that the present respondent-deponent have always been vigilant enough to take appropriate measures to preserve the environment.
8. That the facts and documents annexed with the present affidavit are requested to be taken on record in the interest of justice.
9. That the averments of facts, grounds and documents of the annexed affidavit are true and correct, which I believe to be true and correct on basis of my personal knowledge.


Ameeon
DEPONENT

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify on oath that the contents of paras 1 to 9 of my above stated affidavit are true and correct to my personal knowledge. Nothing material has been concealed in it and no part of it is false. So help me God.

Identified by - *Seerat*

Ameeon
DEPONENT



ATTESTED
[Signature]
OATH COMMISSIONER
RAJASTHAN HIGH COURT
JAIPUR BENCH, JAIPUR

29 APR 2025

(5)

Ameyura - R/1
कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16612 दिनांक 17.03.28

श्री BUDDH RAM / RAMKISHOR SAINI

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 19903 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16659/दिनांक 17.03.2017

श्री HANSRAJ / SHYONARYAN BAIRWA

ग्राम- CHANSEN ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 22662 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

Handwritten signature

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.।6630दिनांक 17.03.25

श्री RAJESH KUMAR/ REVAD MAL SAINI

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 21238 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16620 दिनांक 17.03.24

श्री RAMKHLADI / KESHARI LAL MALI

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 20530 लोड- 20

011805-1552

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

9929499894
अंकित

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट 9

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.1662 दिनांक 17.03.25

श्री ASHOK / RAMDHAN MEENA

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।


विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 20532 लोड- 10

देवली मोडल
रामधे

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।



सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

9166131767

8058683644



सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कमाकं:-स.अ./अ.प्र./लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16623 दिनांक 17.03.25

श्री BHAJAN LAL/MANGAL RAM SAINI

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 20531 लोड- 10

18/5/1652

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

9166 5833 B1
नर-राम लाल

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट (11)

क्रमांक:—स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16604 दिनांक 17.03.25

श्री RAMPHOOL / JHUTHA LAL MEENA

ग्राम— JAMAT ,तहसील—लालसोट, जिला—दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.— 19324 लोड— 10

वेपली मोड ले 31120

विषय:— विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

9413380013
सिद्धराय श्रीवा

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट (12)

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16647दिनांक 17.03.25

श्री RAJU LAL / HEERA LAL BAIRWA

ग्राम- CHANSEN ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 21917 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

9399 92 43 50

राजूलाल

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) 495 जयपुर डिस्कॉम लालसोट (13)

कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.165न/दिनांक 17.03.24

श्री RAJENDRA/ SHIVJI RAM JANJID

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 8105 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

9166278489
रामेश्वर लाल

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) 496 जयपुर डिस्कॉम लालसोट (14)

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.1663। दिनांक 17.03.20

श्री SOHAN DAS / GOPAL DAS SWAMI

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 21239 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

9667185301

अधीक

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट (15)
कमाकं:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16589दिनांक 17.03.25

श्री RAMESH / MISHRI LAL SAINI

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 18608 लोड- 15

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दरस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट (16)

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे./65 नूद्विनांक/17.03.28

श्री OMPRAKASH/RAMSHAI SHARMA

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 11800 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

—यस्य ज्ञात—

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट (18)

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16650 दिनांक 17.03.25

श्री CHETRAM / NAVAL KISHOR SAINI

ग्राम- CHANDESEN ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 20557 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

mob- 7742866469
चेतराम

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (500 प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कमार्क:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16645 दिनांक 17.03.25

श्री PREHLED / KORI LAL MEENA

ग्राम- CHANDSEN ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 12300 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेगें।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

- 1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

mob. - 9784928547

मुकेश

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (501 अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट (19)
क्रमांक:—स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.।6639दिनांक 17.03.25

श्री UTTAM DAS / JALIM DAS SWAMI

ग्राम— JAMAT ,तहसील—लालसोट, जिला—दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.— 20506 लोड— 10

विषय:— विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

उत्तरा 21/2/25
9594659419

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट (20)

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.।६६०९ दिनांक 17.03.15

श्री MANSARAM / PARASRAM MEENA

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 19680 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

9001276889

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट (2)

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.165नं7द्विनांक।न.०३.१५

श्री VAHID KHAN/LATIF KHAN

ग्राम- SHYAMPURA ROAD JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 15631 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

रामेश्वर 20/11/14 6376539014

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट (22)

कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.।6599 दिनांक 17.03.25

श्री GIRRAJ PRASAD / RAMKANWAR SAINI

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 19173 लोड- 20

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

रामकान्वर सैनी
9929416620

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

23

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16574दिनांक 17.03.25

श्री OM PRAKASH / HAJARI LAL SAINI

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 13832 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

ओम प्रकाश
22-09-25/56

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) 506 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16605 दिनांक 17.03.25

श्री BABU LAL / PRABHU LAL SAINI
ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 19325 लोड- 20

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वंम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

- 1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

3950521407
रिड

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट (25)

कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16578दिनांक 17.03.25

श्री RAMPHOOOL/ BHURA RAM SAINI

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 15630 लोड- 15

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

9829882148
Anurag

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कमार्क:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16653 दिनांक 17.05.17

श्री MAHESH CHAND / GOVIND NARYAN JANGID

ग्राम- SALAGRAMPURA ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 20952 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

- 1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

21/05/17

9414626864

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट (27)

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.।6569 दिनांक 17.03.25

श्री MAHESH CHAND / GOVIND NARYAN JANGID

ग्राम- SALAGRAMPURA ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 20952 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

श्रीमान अधिशाषी

9414 62 68 64

कार्यालय सहायक अभियन्ता (510म) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16570दिनांक 17.03.28

श्री MANTA DEVI / DINESH DAS SWAMI

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 6435 लोड- 25

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

2. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

अभिशाषी

कार्यालय सहायक अभियन्ता (511^{अ.प्रथम}) जयपुर डिस्कॉम लालसोट (29)

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16644दिनांक 17.03.25

श्री RATAN LAL / BIRDI CHAND MEENA

ग्राम- CHANSEN ,तहसील-लालसोट, जिला--दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 11532 लोड- 20

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

598219/215
राहुल मेनी

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (513म) जयपुर डिस्कॉम लालसोट (37)

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16648 दिनांक 17.03.25

श्री JALIM SINGH/ KISHAN LAL GURJAR

ग्राम- CHANSEN ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.-19316 लोड- 20

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

9414761109
-284110311

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (514) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16643 दिनांक 17.03.25

श्री KAILASHI DEVI / SHYONARAM MEENA
ग्राम- CHANSEN ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 9900 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

- 1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

श्रीमान अधिशाषी
99 29 07 6608

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

श्री GAURAV / GHASI LAL SAINI

ग्राम- DIWAN KI KOTHI JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 15524 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

63 75 55 33/5

गौरव

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (516) जयपुर डिस्कॉम लालसोट (34)

कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16578 दिनांक 17.03.25

श्री PAWAN KUMAR / BABU LAL SHARMA

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 15067 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

7983308578

महेश शर्मा

कार्यालय सहायक अभियन्ता (517म) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

35

कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे/6588 दिनांक 17.03.25

श्री HEERA LAL / CHIRANGI LAL MEENA

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 17305 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

अभिषेक शर्मा

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

36

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16593 दिनांक 17.03.25

श्री HARISHANKAR / MANGI LAL SAINI

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 18126 लोड- 10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

7414374562

मानू 24-10

कार्यालय सहायक अभियन्ता (519) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे.16592 दिनांक 17.03.25

श्री HARINARYAN / HARI RAM MEENA

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 18125 लोड- 15

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

- 1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

9514374562

मो. रानी

श्री KANJI / SHANKAR LAL SHARMA

ग्राम— JAMAT ,तहसील—लालसोट, जिला—दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.— 15439 लोड— 25

विषय:— विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु हाईकोर्ट द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

Dishu Sharma
9414462903

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
 क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16596 दिनांक 17.03.2025

श्री RAMGLAL / MANGI LAL SAINI

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 18612 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।


अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वंम जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

28. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।



F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
 क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16581 दिनांक 17.03.2025

श्री GUDDI DEVI / RAMSHAI SAINI
 ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
 विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 17306 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टें पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

13. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

21/03/2025

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16580 दिनांक 17.03.2025

श्री HEERA LAL / GYARSI LAL MALI

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 17111 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

12. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

(Handwritten signature)

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमाकं:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16625 दिनांक 17.03.2025

श्री RAMAVTAR / HAJARI LAL SAINI

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 20750 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

✍

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

57. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

✍

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

9784445866

श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
 क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16609 दिनांक 17.03.2025

श्री ASHOK KUMAR / RAMJI LAL SAINI

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.-19718 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

41. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

no. - 9950 386511

श्रीमान लाल

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16629 दिनांक 17.03.2025

श्री ASHOK / RAMJI LAL SAINI

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 21237 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

61. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

mob- 9950386511

राम अलाम

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपमोक्ता शाखा/प्रे. 16616 दिनांक 17.03.2025

श्री YOGENDRA DAS/ KEDAR DAS SWAMI
ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 20249 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एप्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

48. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

लेने से जना दिवस
व माता करती जग दिवस

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
 क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16617 दिनांक 17.03.2025

श्री PRAKASH DAS / KEDAR DAS SWAMI —
 ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
 विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 20248 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

49. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

लेने लेगा लिपि
 व. सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
 क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16606 दिनांक 17.03.2025

श्री BHONRI LAL / NANAG RAM SAINI

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 19901 लोड-25

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत हैं।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

38. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

राजू सैनी
 9166419880

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमाकं:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16573 दिनांक 17.03.2025

श्री PAPPU LAL / GHANSHYAM MEENA

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 13045 लोड-20

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।



सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

5. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।





सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
 क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16636 दिनांक 17.03.2025

श्री BABU LAL / NANAG RAM SAINI
 ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
 विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 21416 लोड-20

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

—

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

68. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

असौद
 7742782418

—

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमाकं:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16628 दिनांक 17.03.2025

श्री CHIRANJI LAL / RAMPHOOL MEENA
ग्राम-JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 21248 लोड-15

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वंम जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

60. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

यह पत्र सिद्ध

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
 क्रमांक:—स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16587 दिनांक 17.03.2025

श्री RAMESH CHAND/ MANGI LAL SAINI
 ग्राम— JAMAT, तहसील—लालसोट, जिला—दौसा।
 विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.— 17304 लोड—10

विषय:— विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

19. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

8333

9928925329

३

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर 17.03.2025
कमाकं:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16584 दिनांक 17.03.2025

श्री RAKESH / BABU LAL SHARMA

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 17118 लोड-20

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।



सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

16. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।



सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट



कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
 क्रमांक:--रा.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16633 दिनांक 17.03.2025

श्री ANANDI LAL / HARSHAI SHARMA
 ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
 विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 21411 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

—

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

65. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

—

—

—

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
 क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16590 दिनांक 17.03.2025

श्री PAPPU LAL / LALLU LAL MEENA
 ग्राम-JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
 विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 18131 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

22. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

मोडरेटर पप्पु मीना

9928918687

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
 क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16603 दिनांक 17.03.2025

श्री RAMKESH / GHASI LAL MEENA

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 19326 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहरस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

35. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
 जयपुर डिस्कॉम लालसोट

सहायक अभियन्ता

3829755612

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16597 दिनांक 17.03.2025

श्री KAMLESH / GHASI LAL MEENA

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 18757 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एप्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

29. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कमलेश/गुप्त

9829 755614

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16635 दिनांक 17.03.2025

श्री MUKESH MEENA/ GHASI LAL MEENA
ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 21413 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वाम जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

67. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कमलेश शर्मा

9899755612

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16615 दिनांक 17.03.2025

श्री HANUMAN PRASAD/RAMJI LAL SHARMA
ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 20250 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

47. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

विमोदी नामाश्री

9929081464

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16610 दिनांक 17.03.2025

श्री PAPPU LAL / RAMDHAN MEENA
ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 19717 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

42. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

जय
9680604135

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16637 दिनांक 17.03.2025

श्री CHARAT LAL/JAGNA MEENA

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 22504 लोड-20

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एप्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

69. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

तेजराम मीना

8890641203

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16598 दिनांक 17.03.2025

श्री KAILASH CHAND / RAMKARAN MEENA
ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 19222 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

—

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

30. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

—

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

तेजकामजी।

889064/200

62

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कमाकं:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16638 दिनांक 17.03.2025

श्री PRABHATI LAL / MOOLCHAND MEENA

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 20505 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

70. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

प्रभाली/01/03/2025

9414626455

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

(63)

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16640 दिनांक 17.03.2025

श्री GYANANDRA SINGH / SHYODAN SINGH

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 22509 लोड-20

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

72. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

अ.प्रथम

7062565629

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कमाकं:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16641 दिनांक 17.03.2025

श्री GOVIND SINGH / SHYODAN SINGH

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 23517 लोड-20

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

73. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16626 दिनांक 17.03.2025

श्री LADA DEVI / HEERA LAL SAINI

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 21415 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)

जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

58. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

10/50 नई 10/11
 10/50 नई 10/11

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)

जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
 क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16622 दिनांक 17.03.2025

श्री SITARAM / BASANTI LAL SAINI

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 20528 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।


अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

54. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।



F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
क्रमांक:—स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16624 दिनांक 17.03.2025

श्री PAPPU LAL/HAJARILAL MALI

ग्राम— DEVALI MOD JAMAT ,तहसील—लालसोट, जिला—दौसा।.

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.— 20791 लोड—20

विषय:— विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।

—

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

56. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

पप्पु लाल मैली

97 99 22 18 54

—

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16634 दिनांक 17.03.2025

श्री SITARAM / HARIRAM MEENA

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 21412 लोड-20

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग््रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

66. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

मल्लिकार्जुन रेड्डी

8952852460

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16634 दिनांक 17.03.2025

श्री SITARAM / HARIRAM MEENA

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 21412 लोड-20

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।


अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।



सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

66. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।


8952852460



सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कमाकं:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16613 दिनांक 17.03.2025

श्री HARKESH / HAJARI LAL SAINI

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 19904 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

45. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

~~श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।~~
श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

क्रमांक:—स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16614 दिनांक 17.03.2025

श्री LALARAM / GOKUL MEENA — . 2-3 के 4/1/15

ग्राम— JAMAT, तहसील—लालसोट, जिला—दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.— 19905 लोड—20

विषय:— विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

46. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

श्रीमती लाल मी. ॥

9351635654

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16611 दिनांक 17.03.2025

श्री MANGAL RAM/ RAMKISHOR SAINI
ग्राम- DEVALI MOD JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 19900 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।




सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

43. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।



सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट


9664 224103

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमाकः-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16608 दिनांक 17.03.2025

श्री BABU LAL / HAJARI LAL SAINI

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 19902 लोड-20

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने वावत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

40. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

8613187650

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16619 दिनांक 17.03.2025

श्री RAMSINGH / RAMU MALI

ग्राम- JAMAT ,तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 20529 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

—

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

51. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

—

—

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

75

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमाकं:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16583 दिनांक 17.03.2025

श्री GIRRAJ / MOOLCHAND MEENA
ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 17094 लोड-20

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य मे उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म मे आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

15. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

रवेन्द्राज मीना
9414820178

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16582 दिनांक 17.03.2025

श्री NANHE KHAN / KAMRUDDIN KHAN
ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 17035 लोड-20

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

14. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

हजीरा खान

8290536569

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16595 दिनांक 17.03.2025

श्री BANWARI LAL / GHANSHYAM SHARMA

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 18606 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जॉच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F


सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

27. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट


8619429197

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16600 दिनांक 17.03.2025

श्री HARKESH / KORILAL MEENA

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 19215 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जॉच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वंम जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

32. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

97-84928547

का/02/21/11

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16601 दिनांक 17.03.2025

श्री PAPPU LAL/RAMPRASAD JANGID
ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 19172 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

33. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस). जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

शंकर लाल सैनी

9166 5540 68

80

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट

क्रमांक:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16601 दिनांक 17.03.2025

श्री PAPPU LAL/ RAMPRASAD JANGID

ग्राम- JAMAT, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 19172 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शनो को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

33. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस). जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

शंकर लाल सैनी

9166 5540 68

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमांक:—स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16594 दिनांक 17.03.2025

श्री GIRRAJ / GHASI LAL GURJAR

ग्राम— SHYAMPURA ROAD JAMAT, तहसील—लालसोट, जिला—दौसा।

विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.— 18608 लोड—10

विषय:— विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के वजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।


अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वम जिम्मेवार रहेंगे।



सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

26. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।





सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम) जयपुर डिस्कॉम लालसोट
कमाकं:-स.अ./अ.प्र/लालसोट/उपभोक्ता शाखा/प्रे. 16646 दिनांक 17.03.2025

श्री KAILASHI DEVI / KANHA RAM MEENA
ग्राम- CHANSEN, तहसील-लालसोट, जिला-दौसा।
विद्युत कनेक्शन सर्विस नं.- 14808 लोड-10

विषय:- विद्युत कनेक्शन को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एग्रीमेन्ट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिवर्तित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31 दिसंबर 2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

प्रतिलिपि :-

78. श्रीमान अधिशाही अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

F

सहायक अभियन्ता (अ.प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम लालसोट

11/25 - ~~9993 0000~~
9602674783
कनाराम मेणा

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ-प्रथम) तालसोट
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

Mobile: 9614021983

General Enquiry: 01426222222

क्रमांक :- जे.पी.डी./स.अ./ अ-प्रथम / तालसोट / संस्थापन / 765 दिनांक - 3.7.20

श्री. वामनराज राज प्रसाद प्रसाद शर्मा, A/c no 1803/1002
आदरणीय, सहायक अभियन्ता, तालसोट
जयपुर

विषय :- विद्युत कनेक्शनों को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपयोग करने का बतल।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एप्रीमेंट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था परन्तु उक्त कार्य द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जाँच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आटा की स्थिति में आटा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसम्बर 17 तक के Clause 41 (6)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिष्कृत कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31.12.2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात आपका विद्युत सम्बंध विच्छेद कर दिया जावेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
सूचित रहें।

सहायक अभियन्ता (अ-प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम, तालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशाही अभियन्ता (पवरा) जयपुर डिस्कॉम, तालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ-प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम, तालसोट

85

(63)

कार्यालय सहायक अभियन्ता (अ-प्रथम) लालसोट
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

ICBII: 0014041983

GMS 10 An... ..

क्रमांक :- जे.पी.डी./स.अ./ अ-प्रथम / लालसोट / संस्थान / ०. 765 दिनांक 3-7-20

श्री. लालसोट राजा प्रसाद प्रसाद राजा, A/c no 1805/1002
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
लालसोट

विषय :- विद्युत कनेक्शनों को दिये गये कार्य के बजाय दूसरे कार्य में उपभोग करने का पत्र।

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा दिये गये उक्त कनेक्शन निगम द्वारा निर्धारित आवेदन मय एप्रीमेंट फार्म में आटा चक्की के कार्य के लिए आवेदन किया गया था किन्तु इंजीनियर द्वारा जानकारी के उपरान्त मौका जांच करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन आज की स्थिति में आरा मशीन के कार्य में लिया जा रहा है। जो कि TCOS 2004 संशोधित 31 दिसम्बर 17 तक के Clause 41 (5)(a) के अनुसार निगम नियमों के विपरीत है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप द्वारा परिचित कार्य के लिए निगम नियमानुसार सम्यंक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा TCOS 2004 संशोधित 31.12.2017 तक के Clause 41 (7) के अनुसार 48 घण्टे पश्चात् आपका विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जायेगा। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार रहेंगे। सूचित रहे।

सहायक अभियन्ता (अ-प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम, लालसोट

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अधिशापी अभियन्ता (पवरा) जयपुर डिस्कॉम, लालसोट।

सहायक अभियन्ता (अ-प्रथम)
जयपुर डिस्कॉम, लालसोट

86

DESPATCH REGISTER

39

Issue No. प्रम संख्या	Month & Date प्रतिमा व तिथि	Name & Address नाम व पता	Place स्थान	SUBJECT विषय	File Head & No. नाम फाईल व संख्या	Stamp Received टिकट प्राप्त		Stamp Used टिकट समाप्त		Remarks टिप्पणी
						Rs.	P.	Rs.	P.	
757	3.7.20	खेम (08m) लखोट	लखोट							
758	-	-	-							
759	-	-	-							
760	11	JEN 508								
761	-	मैत्रा मैत्रा 52	पुढावा							
762	-	लक्ष्मीकांत तेली	-		1805/1673					
763	-	रामलाल खोस	-		2906/1073					
764	-	मीनालाल खोस	-		1805/1758					
765	-	रामलाल खोस	-		1805/0835					
766	-	रामलाल खोस	-		1805/1662					
767	-	रामलाल खोस	-		1805/0786					
768	-	रामलाल खोस	-		1601/1260					
769	-	रामलाल खोस	-		1805/1723					
770	-	रामलाल खोस	-		1601/1031					
771	-	रामलाल खोस	-		1805/1730					
772	-	रामलाल खोस	-		1805/1665					
773	-	रामलाल खोस	-		1805/1724					
774	-	रामलाल खोस	-		1805/1679					
775	-	रामलाल खोस	-		1805/1681					
776	-	रामलाल खोस	-		1805/1680					
777	-	रामलाल खोस	-		1805/1704					
778	-	रामलाल खोस	-		1805/0842					
779	-	रामलाल खोस	-		1805/1856					
780	-	रामलाल खोस	-		1805/1720					
781	-	रामलाल खोस	-		1805/1690, 1805/1013					
782	-	रामलाल खोस	-		1601/0407					
783	-	रामलाल खोस	-		1805/1693					
784	-	रामलाल खोस	-		1805/1819					
785	-	रामलाल खोस	-		1805/1399					
786	-	रामलाल खोस	-		1805/1883					
787	-	रामलाल खोस	-		1805/1880					
788	-	रामलाल खोस	-		1805/1762					
789	-	रामलाल खोस	-		1805/1710					
789	11	खेम (08m) लखोट	लखोट							

DESPATCH REGISTER

40

Issue No. क्रम संख्या	Month & Date महीना व तारीख	Name & Address नाम व पता	Place स्थान	SUBJECT विषय	File Head & No. नाम फाइल व संख्या	Stamp Received टिकट प्राप्त		Stamp Used टिकट लागये		Remarks विशेष विवरण
						Rs.	P.	Rs.	P.	
790	3.7.20	देवराय / शिखर वर्मा	जमाल	1805/1712	विद्या कर्मचारी संघ					
791	7-	सुखलाल / -	7-	1805/1706						
792	7-	सुखलाल / रामजीलाल वर्मा	7-	1805/1744						
793	7-	रामजीलाल / अलम-द वर्मा	7-	1805/1763						
794	7-	रामजीलाल / अलम-द वर्मा	7-	1805/1510						
795	7-	अमरजीलाल / अलम-द वर्मा	7-	1805/1766						
796	7-	राजेश / अलम-द वर्मा	7-	1805/1758						
797	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1848						
798	7-	मधुलाल / रामजीलाल वर्मा	7-	1805/1784						
799	7-	सुखलाल / शिखर वर्मा	7-	1805/1933						
800	7-	विश्वनाथ / रामजीलाल वर्मा	7-	1805/1780						
801	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1886						
802	7-	सुखलाल / रामजीलाल वर्मा	7-	1805/1714						
803	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1805, 1754						
804	7-	रामजीलाल / रामजीलाल वर्मा	7-	1805/1699						
805	7-	देवराय / अलम-द वर्मा	7-	1805/1730						
806	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1776						
807	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1898						
808	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1854						
809	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1796						
810	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1824						
811	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1749						
812	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1788						
813	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1854						
814	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1786						
815	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1652						
816	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1851						
817	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1739						
818	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1720						
819	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1664						
820	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1688						
821	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1671						
822	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1646						
823	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1682, 1703						
824	7-	अलम-द वर्मा / अलम-द वर्मा	7-	1805/1717						

DESPATCH REGISTER

41

Issue No. क्रम संख्या	Month & Date महीना व तारीख	Name & Address नाम व पता	Place स्थान	SUBJECT विषय	File Head & No. नाम फाइल व संख्या	Stamp Received टिकट प्राप्त		Stamp Used टिकट लगाये		Remarks टिप्पणी
						Rs.	P.	Rs.	P.	
825	37.20	राजेश्वर / राजेश्वर मीना	जयपुर	1805/0702 विद्यालय						
826	71	उमेश्वर / उमेश्वर मीना	71	1805/1679						
827	71	शिवलाल / शिवलाल मीना	71	1805/1749						
828	71	लाडो देवी / हीरालाल	71	1805/1849						
829	71	शिवलाल / शिवलाल मीना	71	1805/1818						
830	71	काठलाल / हजारीलाल	71	1805/1800						
831	71	देवदास / रामचंद्र मीना	71	1805/1789						
832	71	शिवलाल / शिवलाल मीना	71	1805/1768						
833	71	मधुलाल / रामचंद्र मीना	71	1805/1793						
834	71	हजारीलाल / रामचंद्र मीना	71	1805/1658						
835	71	राधाभाई / रामचंद्र मीना	71	1805/1731						
836	71	रामचंद्र / रामचंद्र मीना	71	1805/1654						
837	71	दशरथ / लालचरण मीना	71	1805/1809						
838	71	शुक्रेश / रामचंद्र मीना	71	1805/1891						
839	71	मनमोहन / रामचंद्र मीना	71	1805/1716						
840	71	शिवलाल / रामचंद्र मीना	71	1805/1897, 1400						
841	71	रामचंद्र / रामचंद्र मीना	71	1805/1757						
842	71	शुक्रेश / रामचंद्र मीना	71	1805/1691						
843	71	मधुलाल / रामचंद्र मीना	71	1805/1779						
844	71	मधुलाल / रामचंद्र मीना	71	1805/1400						
845	71	शिवलाल / रामचंद्र मीना	71	1805/1801						
846	71	देवी लक्ष्मी / रामचंद्र मीना	71	1805/1731, 1741						
847	71	शिवलाल / रामचंद्र मीना	71	1805/0653						
848	71	शिवलाल / रामचंद्र मीना	71	1805/1782						
849	71	शुक्रेश / काठलाल मीना	71	1805/1772						
850	71	शिवलाल / रामचंद्र मीना	71	1805/1702						
851	71	काठलाल / रामचंद्र मीना	71	1805/1738						
852	71	काठलाल / रामचंद्र मीना	71	1805/1756						
853	71	शुक्रेश / रामचंद्र मीना	71	1805/0843						
854	71	हीरालाल / रामचंद्र मीना	71	1805/0766						
855	71	शुक्रेश / शिवलाल मीना	71	1805/1791						
856	71	शुक्रेश / रामचंद्र मीना	71	1805/1778, 1777						
857	71	हजारीलाल / शिवलाल मीना	71	1805/1737						
858	71	हीरालाल / रामचंद्र मीना	71	1805/1710						
859	71	रामचंद्र / रामचंद्र मीना	71	1805/1715						

